रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1506] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ज्येष्ठ 5, 1939
No. 1506] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/JYAISTHA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

का.आ. 1701(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3226(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को 1 दिसम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुक्षावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य का गठन वर्ष 1974 में ब्रह्मगिरी घाट और उर्टी आरक्षित वनों के सम्पूर्ण वन क्षेत्र को शामिल करके किया गया था। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एएफएड 50 एफडब्ल्यूएल, 74 तारीख 05-06-1974 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन 181.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया था।

और, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में कोदगु जिले की दक्षिणी दिशा में स्थित है और $11^0$55’ से 12^0 19’ उत्तरी अक्षांश तथा $75^0$44’ से 76^0 04’ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

और, बह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट के बीचों बीच स्थित है और 1 प्रतिशत से 35 प्रतिशत से अधिक ढाल के अंतर वाले ऊबड़ खाबड़ भू–भाग उसकी विशेषता है और यह प्रतिवर्ष 2500 मि.मि. से 6000 मि.मि. के बीच उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है ।

और, अभयारण्य प्रचुर जैव विविधता को संभालता है जिसमें स्थानिकता की उच्च दर है और गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के लिए भी वास है। अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जंतुओं में बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), तेंदुआ (*पैंथेरा*

पार्डस), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइंस*), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), गौर और भारतीय भैंसा (*बोस* गौरस), सांभर (*रूसा यूनीकोर्लर*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), सिंह पुच्छ वानर (*मेकक्यूइ सीलेनस*), नीलगिरी लंगूर (*तेराचयपीथेक्स जोहन्नी*), नीलगिरी चिराला (*मारटेस गवांटीनसन्नी*), भूरा मुसंग (*पराडूक्यूअस जेरदोनी*), तेंदुआ बिल्ली (*परीओनालीलरूस बेनदालेन्सीस*), तवांग (*लोरिस लयदेक्केइरीअनअस*), ट्रावनकोर उड़न गिलहरी (*पेटीनामयस फूसकोक्पीलअस*), किंग कोबरा (*ओपहीओफगस* हन्नह), इंडियन राक पायथन (*पायथन मूलयरूस मूलयरूस*), और मालाबार चितकबरी धनेश (*अनथराकोकेरूस कोरोनटस*), मालाबार श्वेत धनेश (*ओकयसेरूस गिरीसेअस*), मालाबार ट्रायगन (*हरपाकटेस फेसकीअटस*), मालाबार चिलबिल (*मयओफोनस होरसफिइडइ*), वायानद चिलबिल (*गररूलक्स डेलेस्सेरटी*), सफेद तुंदा वृक्ष घालमेल (*डेनडरोकीट्रा लेकोहसटरा*), हिल मैना (*गराकूला रेलीगीओसा*) आदि सम्मिलित हैं। अभयारण्य कावेरी नदी के लिए आवाह क्षेत्र है जो कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी और लक्ष्मीन्थिथ और रामथिर्थ नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है जिनका उदगम ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है और कई बारहमासी सरिताओं का भी उदगम अभयारण्य है;

यह अभयारण्य कर्नाटक में नागराहोल राष्ट्रीय पार्क तथा ताला कावेरी वन्यजीव अभयारण्य और केरल राज्य में वायानद तथा अरालम वन्य जीव अभयारण्य के बीच विचरण करने के लिए एशियाई हाथी (*एलेफस मैक्सीमस*) तथा बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), जैसे विशाल स्तनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे का निर्माण करता है और हाथी परियोजना के अधीन घोषित मैसूर हाथी रिजर्व का भी भाग है ।

अभयारण्य में अत्यधिक पुष्प एवं पाणिसमूह विविधता है, अभयारण्य में शोला चारागाहों से मिलकर बने सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन होते हैं और वनस्पति में बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे *डीप्टरोकार्पस इंडसस, एंटरिस टॉक्सीसियारिया, किंग्वाइंडरैन पनीतम, डायस्प्योरस एबेनम, बिशोफ़िया जावानीका, कैलोफ्लियम एपेटलुम, सिनामोमाम ज़ेलेनाइकम, डाल्बर्गिया लेटिफोलिया, पटरोकार्पस मार्सूपियम, एलाओकार्पस एसपी, मायस्ट्रिका स्पैर, गार्सिनिया एसपी, माचिलस मैकेरन्था, मेसिया फेरिआ, हॉपिया परवीफ्लोरा, डायोएक्सिलियम मैलेबरीकम, कैनेरियम कंड्रम, गेंटम इला* आदि, शामिल हैं।

और, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटका राज्य में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के क्षेत्र को ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 136.60 वर्ग किलोमीटर (बाड़ों को छोड़कर) है जिसका विस्तार 1 से 15 किलोमीटर तक है । पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमाओं का वर्णन **उपाबंध** I में दिया गया है ।

(2) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं के प्रमुख बिदुओं के भू- निर्देशांक और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाएं **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले गांवों की सूची तथा आरक्षित वन क्षेत्रो का विवरण **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों या नदियों या जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन**.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, औ उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**.—ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.—जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.—**परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण**.—लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जांएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.—**(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.—**पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख)कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण जल या वायु या मृदा या ध्वनि कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल तथा ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक ही जो भी निकट हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं । परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथालागू पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी ।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे ।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जलकृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित जल बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर - अध्यक्ष ;

(ii) माननीय विधान सभा सदस्य, विराजपेट निर्वाचन क्षेत्र, कोदागु जिला – सदस्य;

(कर्नाटक सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करते हुए, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, कर्नाटक विधान सभा, से अनुज्ञा, यदि अपेक्षित हो भी है प्राप्त करने के अध्यधीन)

(iii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि- सदस्य;

(iv) शहरी विकास विभाग कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(v) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(vi) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर-सदस्य;

(vii) कर्नाटक राज्य द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(viii) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव/सदस्य- सदस्य ;

(ix) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि कोडागु जिला, मेडिकेरी- सदस्य ;

(x) उप वन संरक्षक, मेडिकेरी वन्य जीव अभयारण्य, मेडिकेरी- सदस्य सचिव।

6. निर्देश - निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/168/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

बह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा वर्णन

उत्तर- पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा रेखा सोमा माले रिर्जव वन सीमा को डी रेखा से आरंभ होकर और दक्षिण पूर्वी दिशा में आती है और उत्तरी सीमा के केरती रिर्जव वन में यह सभी साथ में पहुंचती है यह वह बिंदु है जहाँ से उरती रिर्जव वन और केरती रिर्जव वन सीमा की "डी" रेखा मिलती है यानी सामान्य बिंदु में पेरमबडी टैक है ।

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा ब्रहागिरी वन्यजीव अभयारण्य "डी" रेखा 100 मीटर समांतर की चौडाई में अरजी, नांगाला, रुद्रागुप्पे, बडागा और वन, कुट्टानडी, बेगुर, हयसोदलुर, बाडागराकेरी, पाराकाटाकेरीद्, थेरालु और वन,

पश्चिम निम्फाले, कुरची मनचाली और वन ग्रामों से होकर गुजरती है और कुट्टा ग्राम में उ.11.954135पू. 76.056282 के उत्पादन जी.पी.एस तुल्य बिंदु तक पहुचती है ।

पूर्व – दक्षिण -पश्चिम -

इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में रेखा आती है और ब्रहागिरी वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा यह सभी साथ में आती है और ब्रहागिरी वन्यजीव पर्वत श्रेणी के उरती रिजर्व वन और कुटुपुजाह पुल के माकुटा पर्वत श्रेणी के उरती रिजर्व वन के सामान्य बिंदु की अंतर राज्य सीमा तक पहुचती है इसके बाद केरती रिर्जव वन सीमा की सीमा में यह सभी साथ में आडी रेखा में और सोमा माले के प्रारंभिक बिंदु तक पहुचती है।

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन में बह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र

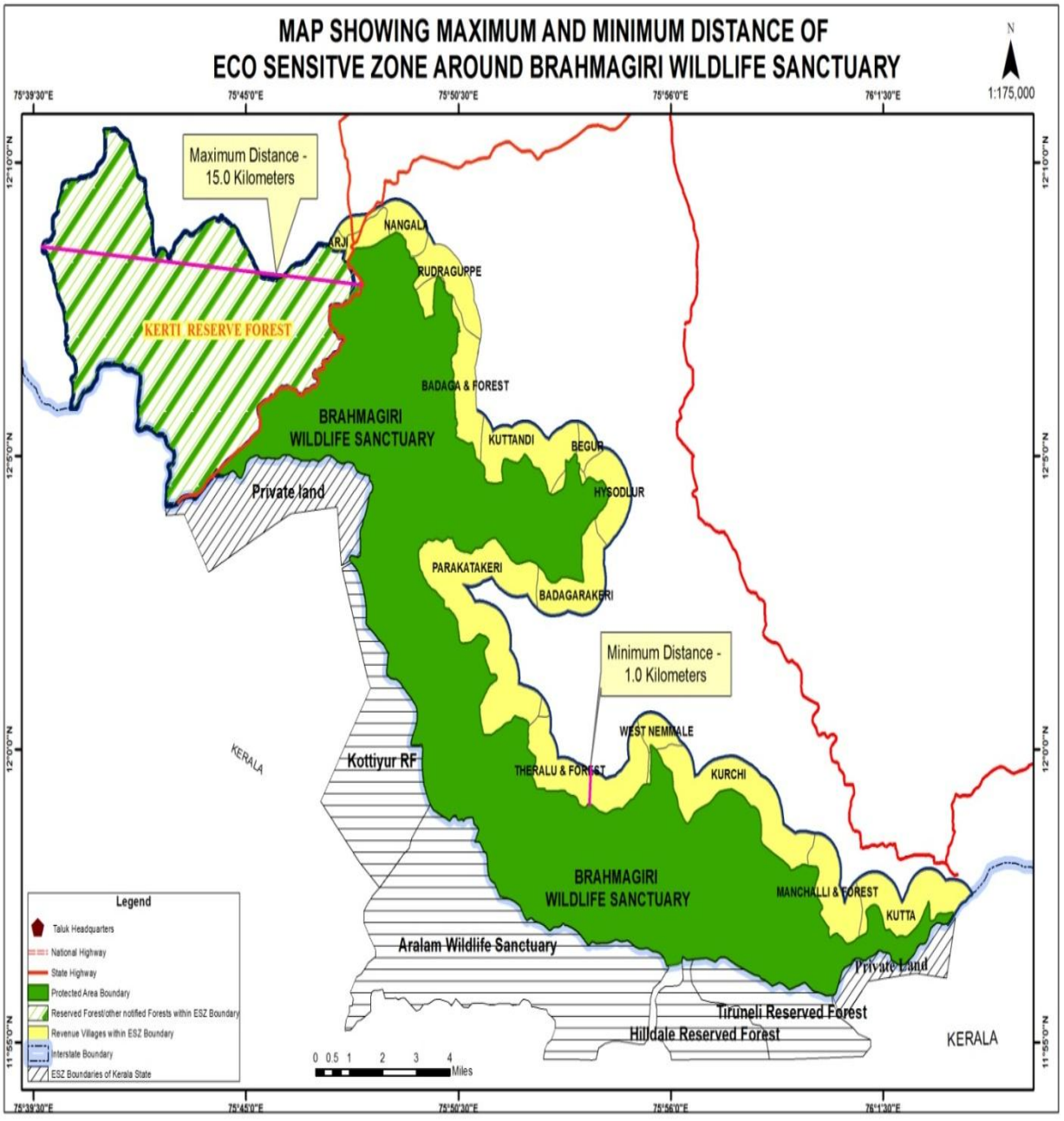

उपाबंध-III

बह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर मुख्य बिंदुओ के भू- निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	75	47	39.19	12	8	20.27
2	75	48	53.75	12	8	48.27
3	75	49	38.08	12	7	20.14
4	75	49	58.11	12	8	3.83
5	75	50	32.39	12	7	7.39
6	75	50	25.41	12	5	20.37
7	75	51	39.28	12	4	33.47
8	75	52	16.23	12	4	59.75
9	75	53	30.76	12	5	1.48
10	75	53	44.19	12	2	51.36
11	75	51	33.02	12	3	31.55
12	75	49	28.53	12	3	23.72
13	75	50	32.57	12	1	49.59
14	75	51	16.41	12	1	51.86
15	75	51	29.45	12	1	11.50
16	75	51	10.82	12	0	14.60
17	75	52	19.16	12	0	26.75
18	75	52	31.05	11	59	20.80
19	75	53	56.10	11	59	2.94
20	75	55	30.59	12	0	3.38
21	75	56	27.64	11	58	44.65
22	75	58	15.23	11	58	57.57
23	75	59	47.88	11	57	59.02
24	76	1	15.17	11	57	20.53
25	76	2	40.55	11	57	24.05
26	76	3	20.68	11	57	12.93
27	76	0	13.20	11	55	48.59
28	75	55	53.55	11	56	18.61
29	75	50	50.54	11	58	50.24
30	75	48	39.29	12	1	15.89

31	75	48	8.53	12	4	40.20
32	75	44	13.20	12	4	43.79
33	75	45	18.84	12	5	46.08
34	75	47	31.15	12	6	55.40

बह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य बिंदुओ के भू- निर्देशांक दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	75	41	24.17	12	10	32.90
2	75	42	42.45	12	8	24.72
3	75	47	11.04	12	8	37.40
4	75	49	47.99	12	8	40.68
5	75	50	59.11	12	5	44.92
6	75	53	37.12	12	5	33.56
7	75	54	19.39	12	3	27.75
8	75	52	31.84	12	2	25.59
9	75	50	37.42	12	2	47.71
10	75	52	39.34	12	0	52.59
11	75	55	7.45	12	0	28.94
12	75	56	39.41	11	59	31.79
13	75	59	10.53	11	58	34.00
14	76	0	28.34	11	57	22.22
15	76	2	1.15	11	57	23.59
16	76	3	46.80	11	57	32.12
17	75	42	55.20	12	4	8.70
18	75	42	10.42	12	5	29.64
19	75	40	29.88	12	5	48.72
20	75	39	43.88	12	8	28.68

उपाबंध-IV

बह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई.डी	ग्रामों के नाम	तालुका के नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में.	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
				डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड	
1	अरजी	विराजपेट	33.75	12	8	37.42	75	47	23.79	1 किलोमीटर
2	नांगला	विराजपेट	281.72	12	8	55.30	75	48	50.68	1 किलोमीटर
3	रुडगुपे	विराजपेट	546.18	12	8	12.17	75	49	40.48	1 किलोमीटर
4	कुतन्दी	विराजपेट	613.11	12	5	5.94	75	52	18.00	1 किलोमीटर
5	बडगा और वन	विराजपेट	500.52	12	6	25.77	75	50	32.96	1 किलोमीटर
6	बेगर	विराजपेट	98.65	12	5	9.02	75	53	48.68	1 किलोमीटर
7	हाईसोलूर	विराजपेट	350.80	12	4	21.87	75	54	26.01	1 किलोमीटर
8	बडगरकेरी	विराजपेट	536.40	12	2	53.95	75	53	30.50	1 किलोमीटर
9	परक्टाकेटी	विराजपेट	1508.63	12	2	12.87	75	51	11.89	1 किलोमीटर
10	पश्चिम नेमाले	विराजपेट	151.26	12	0	17.27	75	55	38.36	1 किलोमीटर
11	थेरालु और वन	विराजपेट	781.58	11	59	37.23	75	53	49.57	1 किलोमीटर
12	कुरची	विराजपेट	941.23	11	59	9.01	75	57	39.10	1 किलोमीटर
13	मनचली और वन	विराजपेट	457.29	11	57	33.00	76	0	14.76	1 किलोमीटर
14	कुत्ता	विराजपेट	640.02	11	57	25.23	76	2	10.37	1 किलोमीटर
			7441.14							

बह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर आरक्षित वन क्षेत्रों का विवरण

क्र. सं.	वन का नाम	जिला	तालुक	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर	जीओ. सं./ अधिसूचना सं. और तारिख
1.	केरटी आरक्षित वन	कोडागू	विराजपेट	62.79	कूर्ग प्रांत अधिसूचना संख्या के आयुक्त: 58 तारिख: 24.06.1908
कुल				**62.79**	

उपाबंध-V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2017

S.O. 1701(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3226(E), dated the 1st December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public on the dated the 1st December, 2015;

And Whereas, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification duly considered by the Central government.;

And Whereas, the **Brahmagiri Wildlife Sanctuary** was formed by including the entire forest areas of Brahmagiri Ghat and Urti reserve forests in the year 1974. The State Government vide its Notification No. AFD.50 FWL;74 Dated 05-06-1974 notified an area of **181.29 square kilometres** as Brahmagiri Wildlife Sanctuary under the provisions of the Sub-Section (1) of Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

And Whereas, Brahmagiri Wildlife Sanctuary is situated in Southern side of Kodagu district in the State of Karnataka and lies between North latitude 11° 55′ to 12° 19′ and East longitude 75° 44′ to 76° 04′;

And Whereas, the Brahmagiri Wildlife Sanctuary lies in the core of Western Ghats and is characterized by rugged terrain with slopes varying from 1% to more than 35% slope and it is a high rain fall ranging between 2500 mm to 6000 mm per year;

And Whereas, the Sanctuary supports rich biodiversity with high rate of endemism and is also home for critically endangered species. The important animals found in the sanctuary include Tiger (*Panthera tigris)*, Leopard (Leopard *Panthera pardus)*, Wild Dog (*Cuon alpines)*, Asiatic Elephant (*Elephas maximus)*, Gaur or Indian Bison (*Bos*

gaurus), Sambar (*Rusa unicolor)*, Barking deer (*Muntiacus muntjak)*, Lion Tailed Macaque (*Macaque silenus*), Nilgiri Langur (*Trachypithecus johnii)*, Nilgiri Marten (*Martes gwatkinsii)*, Brown Palm Civet (*Paradoxurus jerdoni*), Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis)*, Slender Loris (*Loris lydekkerianus)*, Travancore Flying Squirrel (*Petinomys fuscocapillus)*, King Cobra (*Ophiophagus Hannah)*, Indian Rock Python (*Python molurus molurus)*, and Malabar Pied Hornbill (*Anthracoceros coronatus)*, Malabar Grey Hornbill *(Ocyceros griseus)*, Malabar Trogon (*Harpactes fasciatus)*, Malabar Whistling Thrush *(Myophonus horsfieldii)*, Wayanad Laughing Thrush (*Garrulax delesserti*), White-bellied Tree-pie (*Dendrocitta leucogastra*), Hill Myna (*Gracula religiosa*), etc. The Sanctuary is catchment for River Cauvery which is an important River of Karnataka and Lakshmanthirtha and Ramathirtha are the tributaries of River Cauvery that originates from Brahmagiri Wildlife Sanctuary and many perennial streams also originate from the Sanctuary;

And Whereas, the Sanctuary forms an important corridor for large mammals like Asiatic Elephant (*Elephas maximus*) and Tiger (*Panthera tigris)* to move between Nagarahole National Park and Talacauvery Wildlife Sanctuary in Karnataka and Wynad and Aralam Wildlife Sanctuaries in KeralaState and also forms part of the Mysore Elephant Reserve declared under the Project Elephant;

And Whereas, the sanctuary has a very high Floral and Faunal diversity, the sanctuary consists of evergreen and semi-evergreen forests interspersed with shola grasslands and the vegetation comprises of very important species like *Dipterocarpus indicus, Antiaris toxicaria, Kingiodendron pinnatum, Diospyrous ebenum, Bischofia javanica, Calophyllum apetalum, Cinnamomum zeylanicum, Dalbergia latifolia, Pterocarpus marsupium, Elaeocarpus sp., Myrstica sp., Garcinia sp., Machilus macarantha, Mesua ferrea, Hopea parviflora, Dysoxylum malabaricum, Cannarium strictum, Gnetum ula,* etc.

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Brahmagiri Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of Brahmagiri Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Brahmagiri Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.— (1) The total geographical area of Eco-sensitive Zone is 136.60 square kilometers (excluding enclosures) with an extentvarying from 1 to 15 kilometres around the boundary of Brahmagiri Wildlife Sanctuary. The boundary description of the Eco-sensitive Zone is given in **Annexure– I.**

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II;**

(3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Brahmagiri Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure-III.**

(4) The list of villages and the details of reserved forest areas falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan; namely:-

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Agriculture;

iv. Revenue;

v. Urban Development;

vi. Tourism;

vii. Rural Development;

viii. Irrigation and Flood Control;

ix. Municipal;

x. Panchayati Raj;

xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.—(a)** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs or rivers or channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.—**(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage.—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.—Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.—Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental

(Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.—Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.—Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.—The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management.—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.—The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.—Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.—(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.—The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian

Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Remark
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

12.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.

23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysore – Chairman

(ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Virajpet Constituency, Kodagu District – Member

(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

(iii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;

(iv) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;

(v) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Govt. of Karnataka for three years– Member;

(vi) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;

(vii) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Govt. of Karnataka for three years – Member.

(viii) Member-Secretary/Member of the State Biodiversity Board - Member

(ix) Deputy Commissioner or his representative, Kodagu District, Madikeri – Member

(x) The Deputy Conservator of Forests, Madikeri Wildlife Division, Madikeri – Member Secretary.

6. Terms of Reference.—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V.**

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/168/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE - I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone around Brahmagiri Wildlife Sanctuary.

North: Theboundary lineof Eco-sensitive Zone starts at Soma Male on the "D" line of Kerti reserve forest boundary and runs in South-Eastern direction and all along the northern boundary of Kerti reserve forest till it reaches a point where the "D"-line of Urti reserve forest and Kerti reserve forest meets i.e. common point at Perambadi tank.

The Eco-sensitive Zone boundary line then runs at a width of 1 Kilometer parallel to the D-Line of Brahmagiri Wildlife Sanctuary passing through the villages of Arji, Nangala, Rudraguppe, Badaga & Forest, Kuttandi, Begur, Hysodlur, Badagarakeri, Parakatakeri, Theralu & Forest, West Nemmale, Kurchi, Manchalli & Forest and Kutta villages.

East – South – West : Then the line runs in South-Western direction and runs all along the common boundary of Brahmagiri Wildlife Sanctuary and interstate boundary till it reaches the common point of Urti reserve forest of Brahmagiri Wildlife Range and Kerti reserve forest of Makutta Range at Kutupuzha Bridge. Then the line traverses all along the boundary of Kerti reserve forest and reaches the starting point at Soma Male. The concurrence to include the Private lands, Reserved Forests and Protected Areas of the Kerala State as shown in the map within the Eco-sensitive Zone has been obtained.

ANNEXURE - II

Map showing Eco-Sensitive Zone around Brahmagiri Wildlife Sanctuary

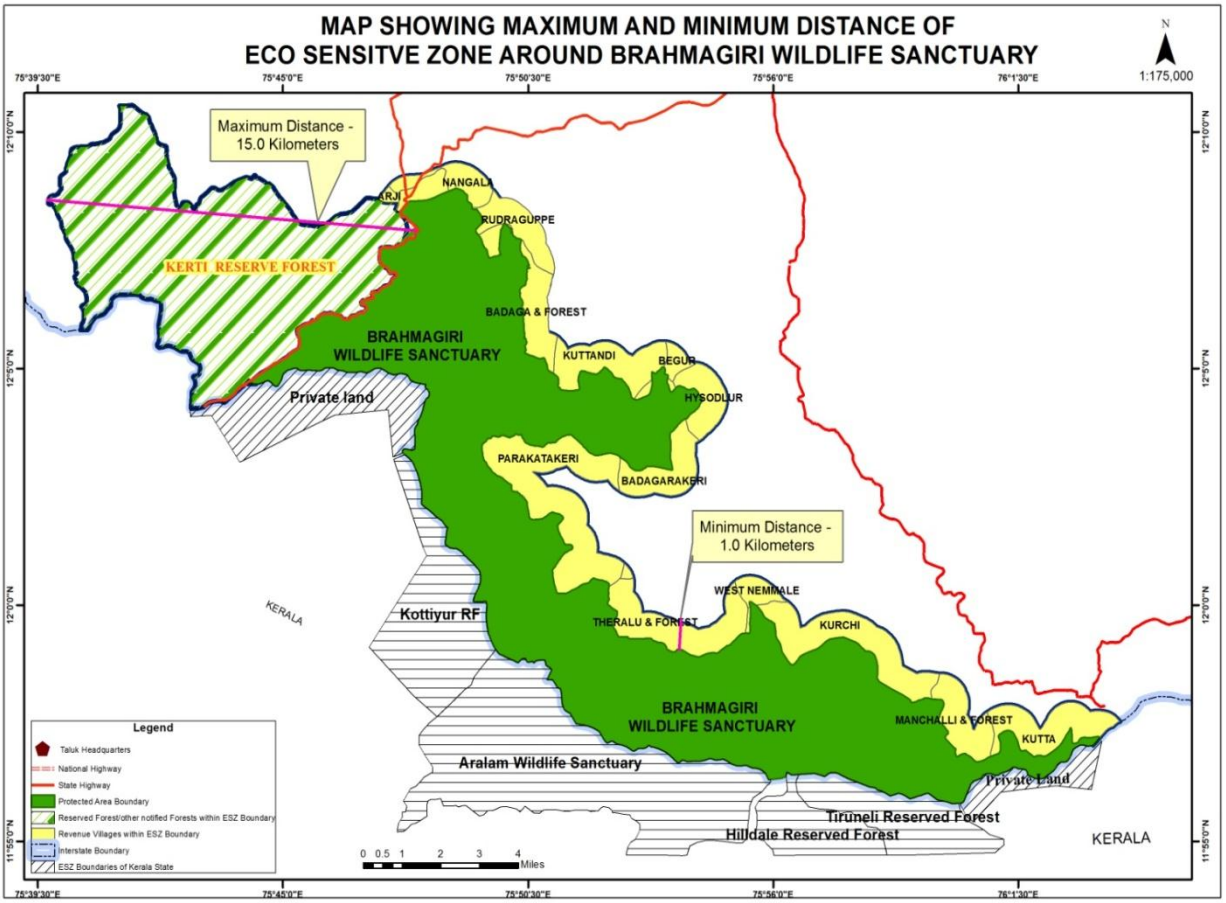

ANNEXURE-III

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Brahmagiri Wildlife Sanctuary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	47	39.19	12	8	20.27
2	75	48	53.75	12	8	48.27
3	75	49	38.08	12	7	20.14
4	75	49	58.11	12	8	3.83
5	75	50	32.39	12	7	7.39
6	75	50	25.41	12	5	20.37
7	75	51	39.28	12	4	33.47
8	75	52	16.23	12	4	59.75
9	75	53	30.76	12	5	1.48
10	75	53	44.19	12	2	51.36
11	75	51	33.02	12	3	31.55
12	75	49	28.53	12	3	23.72
13	75	50	32.57	12	1	49.59
14	75	51	16.41	12	1	51.86
15	75	51	29.45	12	1	11.50
16	75	51	10.82	12	0	14.60
17	75	52	19.16	12	0	26.75
18	75	52	31.05	11	59	20.80
19	75	53	56.10	11	59	2.94
20	75	55	30.59	12	0	3.38
21	75	56	27.64	11	58	44.65
22	75	58	15.23	11	58	57.57
23	75	59	47.88	11	57	59.02
24	76	1	15.17	11	57	20.53
25	76	2	40.55	11	57	24.05
26	76	3	20.68	11	57	12.93
27	76	0	13.20	11	55	48.59
28	75	55	53.55	11	56	18.61
29	75	50	50.54	11	58	50.24
30	75	48	39.29	12	1	15.89
31	75	48	8.53	12	4	40.20
32	75	44	13.20	12	4	43.79
33	75	45	18.84	12	5	46.08
34	75	47	31.15	12	6	55.40

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Eco-sensitive Zone around Brahmagiri Wildlife Sanctuary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	41	24.17	12	10	32.90
2	75	42	42.45	12	8	24.72
3	75	47	11.04	12	8	37.40
4	75	49	47.99	12	8	40.68
5	75	50	59.11	12	5	44.92
6	75	53	37.12	12	5	33.56
7	75	54	19.39	12	3	27.75
8	75	52	31.84	12	2	25.59
9	75	50	37.42	12	2	47.71
10	75	52	39.34	12	0	52.59
11	75	55	7.45	12	0	28.94
12	75	56	39.41	11	59	31.79
13	75	59	10.53	11	58	34.00
14	76	0	28.34	11	57	22.22
15	76	2	1.15	11	57	23.59
16	76	3	46.80	11	57	32.12
17	75	42	55.20	12	4	8.70
18	75	42	10.42	12	5	29.64
19	75	40	29.88	12	5	48.72
20	75	39	43.88	12	8	28.68

ANNEXURE-IV

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone around Brahmagiri Wildlife Sanctuary

Map Id	Name of the Village	Name of the Taluk	Extent in ha.	Latitude			Longitude			Remarks
				Degrees	Minutes	Seconds	Degrees	Minutes	Seconds	
1	Arji	Virajpet	33.75	12	8	37.42	75	47	23.79	1 Kilometer
2	Nangala	Virajpet	281.72	12	8	55.30	75	48	50.68	1 Kilometer
3	Rudraguppe	Virajpet	546.18	12	8	12.17	75	49	40.48	1 Kilometer
4	Kuttandi	Virajpet	613.11	12	5	5.94	75	52	18.00	1 Kilometer
5	Badaga & Forest	Virajpet	500.52	12	6	25.77	75	50	32.96	1 Kilometer
6	Begur	Virajpet	98.65	12	5	9.02	75	53	48.68	1 Kilometer
7	Hysodlur	Virajpet	350.80	12	4	21.87	75	54	26.01	1 Kilometer
8	Badagarakeri	Virajpet	536.40	12	2	53.95	75	53	30.50	1 Kilometer
9	Parakatakeri	Virajpet	1508.63	12	2	12.87	75	51	11.89	1 Kilometer
10	West Nemmale	Virajpet	151.26	12	0	17.27	75	55	38.36	1 Kilometer
11	Theralu & Forest	Virajpet	781.58	11	59	37.23	75	53	49.57	1 Kilometer
12	Kurchi	Virajpet	941.23	11	59	9.01	75	57	39.10	1 Kilometer
13	Manchalli & Forest	Virajpet	457.29	11	57	33.00	76	0	14.76	1 Kilometer
14	Kutta	Virajpet	640.02	11	57	25.23	76	2	10.37	1 Kilometer
			7441.14							

Details of Reserved Forests areas within the Eco-sensitive Zone of Brahmagiri Wildlife Sanctuary.

Sl. No.	Name of the Forest	District	Taluk	Area in Sq. Km	GO. No./ Notification No. & Date
1.	Kerti Reserve Forest	Kodagu	Virajpet	62.79	Commissioner of Coorg Province Notification No: 58 Dated: 24.06.1908
Total				**62.79**	

ANNEXURE – V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.31 15:24:49 +05'30'